

फर्द अहकाम

अज अदालत अति० जिला कलेक्टर..... मुकाम टोंक

गिराज..... बनामतहसीलदार मालपुरा वगै०

किस्म मुकदमा.....अपील ..नं०...../१७.....सन्.... 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-5-19	<p>अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अपील भीमो के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांत का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष खसरा नम्बर 496/3 रकबा 12 बिस्वा मे से 0.09 बिस्वा (1138.17 वर्गमीटर) भूमि का कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य मे रूपान्तरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राज० राजस्व नियम 2007 की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 3 के हक मे कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु रूपान्तरण के आदेश दिनांक 01.03.2016 को पारित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर प्याउ,हैण्डपम्प,धर्मशाला व प्रतिकालय रोड से 40 फीट की परिधि मे बने हुये है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को लाभ पहुंचाने के लिये नहीं की गई और न ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं अपने स्तर पर मौका देखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आदेश को स्थगित किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता. 6 को पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि पर प्याउ,हैण्डपम्प,धर्मशाला व प्रतिकालय को घ्वस्त नहीं करे तथा आम जनता के उपयोग-उपभोग मे किसी प्रकार की बेजा मजाहमत तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करे।</p> <p>हमने बहस अभिभाषक अपीलांत एक तरफा सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में तहसीलदार मालपुरा द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.03.2016 (रूपान्तरण) को स्थगित करते हुये अप्रार्थी संख्या 3 ता. 6 को पाबंद किया जाता है कि विवादित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.2019 तक नहीं करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश से संबंधित मिसाल भी मंगवाई जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2019 को पेश हो।</p>	<p>847-852 15-5-19</p>

विविक्त जिला कलेक्टर टोंक

47/19

डा. अशोक कुमार
डा. अशोक कुमार
डा. अशोक कुमार
डा. अशोक कुमार

विक्रम प्रसाद
4/7/19

मैगा हाइवे जयपुर मालपुरा सड़क के सहारे राजहक में समर्पित भूमि की पूर्वी सीमा मैगा हाइवे की मध्य रेखा (सुताबिक रेकोर्ड नम्बर) अगुस्तार 40 मीटर (चालीस मीटर) है बाकी तथा यदि समर्पित भूमि की पूर्वी सीमा रेखा की सड़क की मध्य रेखा से 40 मीटर दूरी है तो तत्पश्चात् सुताबिक राजस्व नवशा संपर्किवन आविदक की खातेदारी भूमि वास्ते संपर्किवन शेष नचत है या नहीं।

इस सम्बन्ध में लक्ष्मी रिपोर्ट मागामी दिनांक (पेशी) 26-11-2020 से पूर्व प्रेषित करें। यदि प्रयात रहेगा।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दांब

26-11-2020

आधि. उद्यमपत्रा उप. तहसीलदार मालपुरा से लक्ष्मी रिपोर्ट प्राप्त। स्थगन भादेश की अवधि निमत दिनांक तक बढ़ायी जाती है। फावली इंटरनर रिपोर्ट दिनांक 17-12-2020 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दांब

17-12-20

आधि. उद्यमपत्रा उप. तहसीलदार मालपुरा से लक्ष्मी रिपोर्ट प्राप्त की जावे। स्थगन भादेश की अवधि निमत दिनांक तक बढ़ायी जाती है। फावली इंटरनर रिपोर्ट दिनांक 17-12-2020 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दांब

8-1-21

आधि. उद्यमपत्रा उप. तहसीलदार मालपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। आधि. उद्यमपत्रा अपीलान्त मुपस्थित। आधि. उद्यमपत्रा की आवान बगवाई गई। आधि. उद्यमपत्रा उपस्थित नहीं हुई।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दांब

1358
31/1/20

1775
20/12/20

आम्निभाषक रैस्को ने उपस्थित होकर प्रकरण में
बदल करके हेतु पुरजोर निवेदन किया। आम्निभाषक
अपीलांत की अवान बगार्ड गई। आम्निभाषक
अपीलांत उपस्थित नहीं हुये। आम्निभाषक
रैस्को का कथन है कि अपीलांत प्रकरण में
एक तरफा रजगन लेकर प्रकरण को लम्बा
खींचना चाहता है। अतः यदि अपीलांत बार-बार
अवान के बावजूद भी बदल हेतु उपस्थित
नहीं होता है तो अपीलांत द्वारा जात किया
गया एक तरफा रजगन आदेश खारिज किया
जाते। आम्निभाषक अपीलांत को पुनः बार-बार
अवान बगवर्डी गई। आम्निभाषक अपीलांत
उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रकरण में जारी एक
तरफा रजगन आदेश दिनांक 15/5/2019 को
खारिज किया जाता है। पत्रवली वास्ते बदल
दिनांक 15/01/2021 को पेश हो। इतना लिखने
के उपरान्त आम्निभाषक अपीलांत ने साथ प
के उपस्थित होकर प्रथम पत्र बाबत ट्रांसफर
किये जाते पत्रवली पेश किया। पत्रवली
दिनांक 15/01/2021 को पेश हो।

वतिरिक्त बिला फलेस्ट
दोंब

15-1-21 आम्निभाषक (उभयपक्ष उप) आम्निभाषक मपुष्ठी संस्था-
उ प्रा० पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाते पत्रवली का
जवाब पेश करना चाहते हैं ७० पत्र की जम्मा दी
गई। पत्रवली वास्ते जवाब प्रथम-पत्र बाबत
ट्रांसफर किये जाते पत्रवली दिनांक 5-2-2021 को
पेश हो।

वतिरिक्त बिला फलेस्ट
दोंब